**लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)**
**(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़**
**पीठासीन अधिकारी तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्या/22/2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः–16.03.2021
GCMS No.:-2021/102

श्री लोकेश कुमार बापना निवासी 246, विण्डसर अपार्टमेन्ट, श्री गोपाल नगर, जयपुर

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

**निर्णय**

दिनांक **12.04.2021**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु आवेदन दिनांक 13.01.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 22/2021/(12.04)/261 दिनांक 18.03.2021 से लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 12.04.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 12.04.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/को.चि./स्थापना/[illegible]आई./2020–21/32 दिनांक 07.04.2021 से कमेन्ट्स प्रेषित किए [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:08:44 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

| प्रकरण संख्या 22/2021 (सू.अ.) |
|---|
| श्री लोकेश कुमार बापना निवासी जयपुर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ |

अपीलार्थी श्री लोकेश कुमार बापना पुत्र स्व. श्री मान सिंह बापना को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक को.चि./स्थापना/आ.टी.आई./2020–21/403 दिनांक 18.02.2021 के द्वारा प्रेषित कर दी गई है। चूंकि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(j) के तहत तृतीय पक्षकार से संबंधित सूचना दिये जाने के संबंध में सहमति/असहमति होना आवश्यक है। तृतीय पक्षकार श्री यशपाल बापना सहायक लेखाधिकारी–II कार्यालय हाजा को इस कार्यालय के पत्रांक 382 दिनांक 02.02.2021 द्वारा सहमति/असहमति हेतु लिखा जाने पर श्री यशपाल बापना सहायक लेखाधिकारी–II ने पत्र दिनांक 02.02.2021 के माध्यम से, प्रार्थी द्वारा उक्तानुसार वांछित सूचना दिये जाने बाबत् असहमति व्यक्त की है। अतः अपीलार्थी श्री लोकेश कुमार बापना, पुत्र स्व. श्री मान सिंह बापना को अधिनियम की धारा 8(j) के तहत चाही गई उक्त सूचनाऐं उपलब्ध नहीं कराई गई।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/को.चि./स्थापना/आ.टी.आई./2020–21/32 दिनांक 07.04.2021 से प्रेषित कमेंट्स एवं उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 11.01.2021 से निम्नांकित सूचना चाही गईः– श्री यशपाल बापना, सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय के दिनांक 15.01.2003 से 28.02.2003 तक राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त चिकित्सा एवं उपार्जित अवकाश पर रहने की सूचना की तथ्यात्मक स्थिति।

अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 13.01.2021 में श्री यशपाल बापना, सहायक लेखाधिकारी–II से संबंधित व्यक्तिगत सूचनाऐं चाही गई है तथा श्री यशपाल बापना, सहायक लेखाधिकारी–II ने उक्त सूचनाऐं दिए जाने के संबंध में जरिए पत्र दिनांक 02.02.2021 के माध्यम से अपनी असहमति प्रकट की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:08:44 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

| प्रकरण संख्या 22/2021 (सू.अ.) |
|---|
| श्री लोकेश कुमार बापना निवासी जयपुर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़ |

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (ञ) के अनुसार "ऐसी सूचना, जिसका संबंध वैयक्तिक सूचना से है, जिसके प्रकटन का किसी लोक कियाकलाप या हित से कोई संबंध नहीं है या जिससे किसी व्यक्ति की एकांतता में अनपेक्षित हस्तक्षेप होता है जब तक कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि जनता के बडे हित में ऐसी सूचना का प्रकटन न्यायोचित है।"

चूंकि श्री यशपाल बापना, सहायक लेखाधिकारी–II ने अपनी व्यक्तिगत सूचना देने के संबंध में अपनी असहमति प्रकट की है तथा हमारे मत में भी उक्त सूचना के प्रकटन में कोई लोक हित निहित नहीं है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(तारा चन्द मीणा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.))
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./22/2021(सू.अ.)/332 दिनांकः– 12/04/2021

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी, चित्तौड़गढ़
2. श्री लोकेश कुमार बापना निवासी 246, विण्डसर अपार्टमेन्ट, श्री गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर–302019

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2021.06.23 12:08:44 IST
Reason: SelfAttested